न्यायालय – जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, गया

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या -1977/2026

फतेहपुर थाना काण्ड संख्या–202/2026

पीठासीन पदाधिकारी– राजेश सिंह

1.गुलशन कुमार, उम्र–23 वर्ष,
2. रवि रंजन कुमार, उम्र–32 वर्ष,
दोनों पिता– सुभाष सिंह
3.सुभाष सिंह उर्फ सुभाष कुमार, उम्र–50 वर्ष, पिता–स्व0 विजय सिंह
4.विक्की कुमार, उम्र–33 वर्ष, पिता–श्याम सुंदर सिंह
सभी निवासी–धनगांव, थाना–फतेहपुर, जिला–गया

————अभियुक्तगण

बनाम

बिहार सरकार ——— ——————————————————————————अभियोजन

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता –श्री अभय कुमार

अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक–श्री मदन मोहन शर्मा

10.07.2026 आवेदक /अभियुक्तगण की ओर से फतेहपुर थाना काण्ड संख्य–202/2026 अन्तर्गत धारा– 126(2), 115(2),118(1),191(2),190 बी0एन0एस0 में प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन पर उभय पक्ष को सुना।

आदेश

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का कहना कि आवेदक निर्दोष है, उन्हें झूँठे मामला में फंसाया गया है। इन्होनें कोई अपराध कारित नहीं किया है। इसके पूर्व आवेदक की ओर से कोई अन्य जमानत आवेदन माननीय उच्च न्यायालय, पटना या अन्य किसी वरीय न्यायालय में संस्थित नहीं किया है। प्राथमिकी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कथित घटना कपोल–कल्पित एवं मनगढन्त है। इस झूँठे वाद में हम लोगों को गिरफ्तारी की आशंका है। हम लोग समुचित बंध–पत्र देने को तैयार है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि हम लोगों को अग्रिम जमानत देने की कृपा की जाय।

विद्वान अपर लोक अभियोजक उपस्थित हुए। उनका कहना है कि अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत नहीं दी जाय, क्योंकि इन लोगों ने अजमानतीय अपराध कारित किया है।

अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण पर आरोप है कि दिनांक–09.04.2026 को रात्रि दो बजे जब छोटू ऑकेस्ट्रा देखने गया था तो उसके साथ अभियुक्तगण

न्यायालय – जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, गया

<u>अग्रिम जमानत आवेदन संख्या -1977/2026</u>

ने मारपीट किया। बाद में इसके पिता बच्चु सिंह पुछने गये तो इन लोगों ने बच्चु सिंह एवं छोटु कुमार को घेरकर लाठी–डंडा एवं धारदार हथियार से मारकर घायल कर दिया। कांड दैनिकी का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि सूचक ने अपने बयान में घटना का समर्थन किया है। साक्षी–प्रतीमा देवी तथा ममता देवी ने घटना का समर्थन किया है। जख्म प्रतिवेदन के बारे में अनुसंधानकर्ता ने कुछ भी वर्णन नहीं किया है कि सूचक एवं उसके परिवार के लोगों को चोट कारित हुयी है या नहीं। इसलिये अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करने में पश्चात इनके अग्रिम जमानत आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। तद्नुसार इस आदेश प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के अन्दर अभियुक्तगण द्वारा निम्न न्यायालय में आत्मसमर्पण करने या पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने पर उन्हें 10,000/–रुपये के दो समान राशि के जमानतदारों द्वारा बंध–पत्र दाखिल करने पर धारा–482(2) बी0एन0एस0एस0 का अनुपालन करने पर अग्रिम जमानत पर मुक्त किये जाने आदेश दिया जाता है।

लेखापित
Sd/-
राजेश सिंह
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश– II,
गया